राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

कार्यालय मुख्य प्रबन्धक भीलवाडा आगार, नेहरु रोड़–भीलवाडा–311001 (राज.)
Email : rsrtc.cmbhl@gmail.com & cmbhl.rsrtc@rajasthan.gov.in Phone No : 01482.297290

कमाक / मु0प्र0 / भील / लेखा. / 2025 / 4460 दिनांकः– 08/02/25

निविदा – सूचना

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम **भीलवाडा** आगार सीबीएस परिसर एवं आगार कार्यालय की साफ–सफाई के कार्य हेतु संस्था/फर्म/कंपनी/व्यक्ति नियुक्त करने हेतु निविदा आंमत्रित की जानी है। निविदा प्रपत्र एवं शर्ते निर्धारित राशि रूपये 200/– एवं जीएसटी अतिरिक्त पर नकद जमा करवाकर निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता के कार्यालय समय में प्राप्त कर सकते है। इच्छुक व्यक्ति/संस्था अपने प्रस्ताव **25.02.2025** को **15:00** बजे तक जमा करा सकते है। निविदा प्रस्ताव उसी दिन **15:30** बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोलें जावेंगे। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण निगम वेबसाईट http://transport.rajasthan.gov.in/rsrtc एवं SPPP पोर्टल https://sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

निविदा स्वीकार/निरस्त करने का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित है।

मुख्य प्रबन्धक
भीलवाडा आगार

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, भीलवाडा आगार

निविदा–शर्ते

निविदा शुल्क – 200/–रू अक्षरे सौ रूपए मात्र (जीएसटी अतिरिक्त)
निविदा दिनांक – 25.02.2025
निविदा प्राप्ति समय – 15:00 बजे।
निविदा खोलने का समय – 15.30 बजे।

साफ–सफाई कार्य आवंटन/संचालन की निविदा शर्तें निम्न है:–

1. भीलवाडा आगार के ग्राउन्ड फ्लोर, एवं फर्स्ट फ्लोर में निगम कार्यालय परिसर, सीबीएस परिसर (बस स्टेण्ड/बस टर्मिनल) पर स्थित समस्त शौचालय व मूत्रालयों एवं बस पार्किंग स्थलों, यात्री प्रतिक्षालय, बुकिंग विंडो, अन्य सभी यात्री सुविधा स्थल (वाणिजयिक उपयोग हेतु निर्धारितस्थलों के अतिरिक्त) साफ–सफाई का सम्पूर्ण कार्य की व्यवस्था संचालित पारियो में की जावेगी। जिसके लिये संचालित पारियो में सफाई व्यवस्था हेतु आवश्यक पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध कराने होंगें जिसकी संख्या नाम सहित उपलब्य करानी होगी व कर्मचारी को स्थान प्रभारी से प्रतिदिन शीट पर हस्ताक्षर कराने होंगे।
2. प्रत्येक दिन में नियमित अन्तराल पर **तीन** बार झाडू लगेगी तथा प्रत्येक दिन में **दो बार** बस टर्मिनल/सीबीएस परिसर के ग्राउन्ड फ्लोर के कवर्ड एरिया में पौछा लगेगा जिसमें **एक** बार फिनाईल का पौंछा लगाया जाना आवश्यक होगा।
3. आगार कार्यालय में प्रत्येक दिन में एक बार झाडू तथा एक बार **फिनाईल** का **पौंछा** लगाया जाना आवश्यक होगा। मुत्रालय नियमित रूप से साफ करने होंगे अन्यथा **50/–रू शास्ती** राशि दण्ड का प्रावधान होगा।
4. एक दिन छोडकर एक दिन नालियो की सफाई की जावेगी।
5. फर्स्ट फ्लोर एवं ग्राउन्ड फ्लोर में माह में 02 बार मच्छरों आदि की रोकथाम के लिए फोगिंग का कार्य करवाया जायेगा।
6. वाटर कूलर एवं पेयजल स्थल को प्रतिदिन एवं जल संग्रहण हेतु स्थापित पानी की टंकियों को माह में एक बार आवश्यक रूप से साफ किया जायेगा। गर्मियो के दौरान एयर कूलर स्थल को माह में एक बार साफ किया जायेगा।
7. बस टर्मिनल पर एकत्रित होने वाले कचरे को बस टर्मिनल परिसर से बाहर ले जाना होगा।
8. अनुबन्धकर्ता को सफाई सम्बन्धित समस्त सामग्री जैसे फिनाईल पौछे, डस्टर, तेजाब, झाड्डू, साबुन, सौडा इत्यादि की व्यवस्था स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। निगम द्वारा किसी प्रकार की सामग्री, यंत्र इत्यादि नही दिये जावेगें।
9. समस्त कचरा पात्रों को सप्ताह में एक बार आवश्यक रूप से घुलाई किया जाना आवश्यक होगा।
10. प्रत्येक दिन घुलाई में लाया जाने वाला पानी निगम के पास होने पर निगम द्वारा दिया जावेगा अन्यथा अनुबन्धकर्ता को स्वयं के खर्चे पर पानी लाना होगा।
11. सफाई व्यवस्था के लिये सक्षम अधिकारियों द्वारा दिये गए समस्त आदेशो की पालना सफल निविदादाता को करनी होगी तथा बिना विवाद के कार्य करना होगा।
12. सफाई करते समय यदि किसी कर्मचारी की मृत्यू हो जाती है अथवा अपंग हो जाता है तो उससे सम्बन्धित मुआवजे इत्यादि की जिम्मेदारी सफल निविदादाता की होगी राजस्थान परिवहन निगम किसी प्रकार से मददगार एंव जिम्मेदार नहीं होगा।
13. समस्त थूकदान–पीकदान की सफाई करनी होगी एवं पीकदानो में मिट्टी का परिवर्तन सप्ताह में एक बार करना होगा।
14. अनुबन्धकर्ता को सी.पी.एफ. ई.एस.आई जमा कराने संबंधी समस्त कार्यवाही स्वयं के स्तर से करनी होगी तथा इससे सम्बन्धित पूर्ण रिकॉर्ड अपने स्तर से संधारित करने होगें। सभी प्रकार के करों का भुगतान एवं श्रम कानूनों की पालना का दायित्व निविदादाता स्वयं (द्वितीय पक्ष) का होगा।
15. सफाई अनुबन्धकर्ता को सफाई कार्य का देयक प्रतिमाह प्रस्तुत करना होगा। जिस पर वर्णित अवधि में सफाई कार्य सनतोष जनक किया गया, का प्रमाणीकरण प्रबंधक (यातायात/प्रशासन) अथवा अन्य अधिकृत व्यक्ति से कराना होगा तभी देयक का भुगतान किया जा सकेगा।
16. अनुबन्धकर्ता द्वारा किसी भी दिवस सफाई नही जाने पर उसका उस दिन का भुगतान नहीं किया जावेगा तथा प्रतिदिन **300 रू शास्ति राशि** की कटौती अनुबन्धकर्ता से वसूल की जावेगी। **सफल निविदादाता द्वारा धरोहर राशि के रूप में दो माह की सफाई कार्य के समकक्ष राशि सुरक्षा राशि के रूप में निगम कोष में जमा करानी होगी।**
17. अनुबन्धकर्ता यदि समय पूर्व अनुबन्ध समाप्त करना चाहे तो एक माह पूर्व निगम को लिखित में नोटिस देना होगा। बगैर नोटिस के अनुबन्ध तोडने पर **जमा राशि** जब्त कर ली जावेगी।
18. अनुबन्धकर्ता किसी ऐसे व्यक्ति को सेवा में नही रखेगा जो कि फैलने वाली किसी बीमारी से ग्रसित हो, जिसकी साख खराब हो अथवा जो अपराधी प्रवृत्ति का हो। निगम के द्वारा इस बारे में लिया गया निर्णय अनुबन्धकर्ता को मान्य होगा।
19. अनुबन्धकर्ता द्वारा अपने कार्य पर रखे जानें वाले कर्मचारी एवं कार्य करने वाले व्यक्तियों के नाम एवं पते सहित व संख्या सूची मुख्य प्रबन्धक द्वारा चाहे जाने पर उपलब्ध करानी होगी, साथ ही सभी कर्मचारियों के पुलिस वेरिफिकेशन करवाया जाना आवश्यक होगा।
20. सफल निविदादाता द्वारा लगाये गये सभी कर्मचारी निगम कर्मचारियों एवं यात्रियों से शालीनतापूर्वक व्यवहार करें।
21. अनुबन्धकर्ता अथवा उनके द्वारा कार्यरत कोई भी कर्मचारी नशे की हालत में निगम के परिसर में नही आवेगा।
22. अनुबन्धकर्ता द्वारा उसको देय मासिक राशि एवं जीएसटी के अलावा उन समस्त करों को तथा अन्य फीस को जो किसी सरकारी विभाग अथवा स्थानीय निकाय को, देय हो आदि का भुगतान नियमानुसार समय पर करेगा। अनुबन्धकर्ता पर लागू लाईसेंस अथवा परमिट्–आदि लेने की आवश्यकता हो तो वह स्वंय ही जिम्मेदारी पर देय फीस भुगतान कर प्राप्त करेगा।
23. अनुबन्धकर्ता पर नोटिस की तामिल पूर्ण समझी जावेगी, यदि कोई नोटिस उसके द्वारा दिये गये पते पर प्रेषित कर दिया जाता है अथवा रजिस्टर्ड डाक द्वारा भिजवा दिया जाता है। यदि अनुबन्धकर्ता द्वारा निविदा में दिये गये पते में कोई परिवर्तन होता है तो अनुबन्धकर्ता को आगार के मुख्य प्रबन्धक को लिखित रजिस्टर्ड डाक द्वारा परिवर्तित पते से सूचित करना होगा।
24. अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने अथवा निगम द्वारा उपरोक्त वर्णित आधारों पर लाईसेंस निरस्त किये जाने की स्थिति में लाईसेंसधारी को निगम के परिसर में प्रवेश करने और किसी प्रकार का व्यापार / कार्य करने को कोई अधिकार नही होगा। यदि उसके द्वारा ऐसा किया जाता है तो बिना अधिकार के अतिक्रमण करने वाला अतिचारी होगा जो कि अपराधिक अतिचार के अपराध से दण्डित किये जाने का उत्तरदायी होगा।
25. अनुबन्ध की इन शर्तों से अनुबन्धकर्ता के पक्ष में इस परिसर के संबंध में कोई किरायेदारी अधिकार प्राप्त नही होगा।
26. सफाई कार्य प्रथमतः **01 वर्ष के लिये** दिया जावेगा एवं आवश्यकता प्रतीत होने पर ही आगारीय समिति की अनुशंषा/मुख्य प्रबन्धक के निर्देशानुसार ही अनुबन्ध अवधि में वृद्धि की जा सकेगी।
27. यदि निगम या उसके द्वारा अधिकृत कर्मचारी की राय के अनुसार निगम संपत्ति में कोई नुकसान अनुबन्धकर्ता अथवा उसके ऐजेन्ट या कर्मचारी की असावधानी या लापरवाही से हुआ है तो ऐसी सूरत में अनुबन्धकर्ता निगम को उस

नुकसान का हर्जाना अदा करेगा। ऐसे नुकसान की गणना निगम के मुख्य प्रबन्धक/सहायक अभियन्ता (सिविल) अथवा अन्य अधिकृत अधिकारी द्वारा की जावेगी जिसकी गणना के लिए खर्चे की गई राशि की अदायगी का दायित्व अनुबन्धकर्ता का होगा। उपरोक्त अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट अंतिम होगी तथा अनुबन्धकर्ता पर बाध्यकारी होगी।

28. अनुबन्ध की अवधि समाप्ति पर अनुबन्ध निरस्त होने पर निगम की कोई बकाया नहीं होने की स्थिति में अनुबन्धकर्ता को उसकी जमा धरोहर एवं सुरक्षा राशि लौटायी जा सकेगी। यदि निगम और अनुज्ञापत्रधारी के मध्य अनुज्ञापत्र या अन्य किसी देय राशि के संबंध के कोई विवाद / बकाया राशि रहने पर निगम को उक्त धरोहर व सुरक्षा राशि या उसका कोई अंश अपने पास रखने का अधिकार होगा, जब तक की विवाद का अंतिम रूप से निर्णय नही हो जावे।

29. जिस फर्म के पक्ष में अनुबन्ध जारी किया गया है उस फर्म को साफ–सफाई का कार्य अनुबन्ध जारी करने की दिनांक से ही साफ–सफाई का कार्य प्रारम्भ करना होगा। यदि अनुबन्धकर्ता ऐसा करने में असफल रहता है तो उसका अनुबन्ध निरस्त करने का अधिकार निगम को होगा व जमा राशि निगम जब्त कर लेगा। तदुपरान्त निविदा के आधार पर दूसरी न्युनतम बोली वाली फर्म को ठेका आवंटित कर दिया जावेगा।

30. निविदा पत्र के साथ (**मुख्य प्रबन्धक आरएसआटीसी भीलवाडा डीपो**) के नाम **धरोहर राशि 10000 /– रूपये** (अक्षरे दस हजार रूपये मात्र) का बैक ड्राफ्ट/बैकर्स चैक/नकद जमाओं की रसीद संलग्न करनी होगी। कार्य आवंटित होने पर **सफल निविदादाता को दस दिवस में दो माह की सफाई कार्य के समकक्ष राशि सुरक्षा राशि के रूप में निगम कोष में जमा करानी होगी।** सुरक्षा राशि की डी.डी/बैंकर्स चैक/बैंक गारंटी निगम कोष में जमा करानी होगी। उक्त धरोहर एवं सुरक्षा राशि बिना ब्याज के अनुबन्ध अवधि समाप्ति तक निगम कोष में जमा रहेगी। सफल निविदादाता द्वारा अनुबन्ध जारी होने पर प्रभावी दिनांक से ही सफाई कार्य प्रारम्भ नहीं करने पर धरोहर राशि एवं सुरक्षा राशि जब्त कर अनुबंध रद्द कर दिया जावेगा।

31. कार्य का आवंटन होने पर सफल निविदादाता को **पाँच सौ रूपए के भारतीय गैर न्यायायिक स्टाम्प** पर निर्धारित शर्तो के अनुरूप लिखित में अनुबन्ध करना होगा।

32. निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा– निविदा प्रपत्र के क्रम संख्या 01 से 11 में वर्णित समस्त आर्हताओं को पूर्ण करना आवश्यक होगा।
   - निविदा दाता संस्था/फर्म/कम्पनी के पंजिकरण प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।
   - निविदादाता द्वारा ईपीएफ एवं ईएसआई में पंजिकरण होना आवश्यक है, इसकी पुष्टि के लिए वित्तीयवर्ष 2023–2024 में किसी भी माह का ईपीएफ एवं ईएसआई का जमा करवाये जाने का चालान स्वप्रमाणित कर प्रस्तुत करना होगा।
   - निविदादाता जीएसटी में पंजीकृत होना चाहिए इसकी पुष्टि के लिए जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्रकी स्व प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।
   - निविदादाता द्वारा पैन कार्ड की स्व प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।
   - निविदादाता द्वारा बैंक करप्ट /दिवालिया नहीं होने का स्वघोषणा पत्र संलग्न करना होगा।
   - निविदादाता को किसी भी सरकारी विभाग, निगम, बोर्ड, उपक्रम में विगत 03 वर्षो में न्यूनतम 01वर्ष का साफ–सफाई आदि कार्य करने का अनुमव होना चाहिए। जिसके प्रमाणिकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें।
   - निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न घोषणा पत्र भरके एवं हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करना होगा साथ ही निविदा प्रपत्र के समस्त पृष्ठों पर मोहर लगाकर हस्ताक्षर करने होगें। उपरोक्त वर्णित समस्त दस्तावेजों के बिना निविदा फार्म को अस्वीकार करने का अधिकार निगम को होगा।

33. निविदा–प्रस्ताव सीलबन्द लिफाफे में प्रेषित किये जावेंगें।
34. निविदा प्रस्ताव सरल एवं शुद्ध भाषा में होंगें तथा किसी प्रकार की काट–छांट ना हो। प्रस्ताव पर संस्थान के मालिक/अधिकृत व्यक्ति के स्पष्ट हस्ताक्षर होने चाहिए तथा यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि हस्ताक्षरकर्ता मालिक है या पार्टनर /अधिकृत व्यक्ति अपना पद व हैसियत भी लिखें।
35. निविदादात्ता द्वारा दिये गये कोई भी सशर्त प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार नहीं होंगे।
36. यदि किसी भी संस्थान व्यक्ति फर्म के विरूद्ध निगम की राशि बकाया/विचाराधीन है तो उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार निगम को होगा।
37. संलग्न धोषणा–पत्र को भरकर निविदा प्रस्ताव प्रपत्र के साथ संलग्न करें।
38. केन्द्र /राज्य सरकार के कर्मचारी, केन्द्र एवं राज्य सरकार के उपक्रमों के कर्मचारियों एवं राजस्थान परिवहन निगम के कर्मचारी एवं उनके आश्रित पारिवारिक सदस्यों को लाईसेंस का आवंटन नहीं किया जा सकेगा।
39. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित होगा।
40. Dispute Resolution: Any dispute or difference whatsoever arising between the parties out of relating to the construction, meaning, scope, operation or effect of this contract or the validity or the breach thereof, shall, in the first instance, be resolved by referring such dispute or difference to the standing Committee constituted vide Rajasthan State Road Transport Corporation's office order No. HO/Law/Gen/17/781 dated 03.10.2017. The Standing Committee so constituted shall ensure full compliance with the office order referred to above.
41. Arbitration: If the second party (Lessee/contractor etc.) does not wish to take recourse to the dispute resolution mechanisms outlined vide Rajasthan State Road Transport Corporation's office order No. HO/Law/Gen/17/781 dated 03.10.2017 referred to above, or if the second party is not satisfied with the decision of the standing Committee constituted there under, than such dispute or difference relating to the construction, meaning, scope, operation or effect of this contract or the validity or the breach thereof, shall be settled by a Sole Arbitrator to be appointed by the First party (Rajasthan State Road Transport Corporation) following the qualifications and disqualifications laid down under Section 12 of the Arbitration & Conciliation Act, 1996 as amended.

आवासीय कमेटी द्वारा अनुमोदित

प्र.(प्रशा.) प्र.(वित्त) प्र.(यातायात) प्र.(यांत्रिक) मु.प्र.भीलवाड़ा

हस्ताक्षर निविदादाता
मय पद/हैसियत/मोहर सहित